



कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

Email Id: cehydelpcl@gmail.com

संख्या- 915 -अनु०-2/मु०अ०(हा०)/सीधी भर्ती-नियुक्ति/2022,

दिनांक 21.04.2022

विषय:-उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में विज्ञापन सं० 07/विसेआ/2020-जेई०/ईएण्डएम द्वारा
चयनित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली० कम्युनिकेशन पद हेतु नियुक्ति।

सेवा में,

- 1 (Roll no. 181016200417) KRISHNA KUMAR S/O MAHADEV VERMA
Vill-Siddhivinayak, G26, Sambhaji Nagar, Sahar Road, Koldongri,
Mumbai Suburban 400069 E-mail id- ihrverma@gmail.com
- 2 (Roll no. 232216200087) KM ANJALI YADAV D/O SURENDRA YADAV
VILL-BHALUHI Kushinagar 274401 E-mail id- ay38896@gmail.com
- 3 (Roll no. 232216200315) VISHAL SETH S/O OMPRAKASH SETH
Add- N 12/327- 1 K S SHIVRATANPUR Varanasi 221010 E-mail id- sethvishal901@gmail.com

महोदय,

मुझे आपको सहर्ष सूचित करना है कि सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-07/विसेआ/2020-JE/E&M के सन्दर्भ में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली० कम्युनिकेशन के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तों (परिषिष्ट-"प") के अधीन किया गया है।

2. आपका अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली० कम्युनिकेशन के रूप में प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा कराया जायेगा।
3. अभिलेख जाँच के समय आपको अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने अनिवार्य है :-

(i) प्रमाणपत्र

- (क) प्रवेश पत्र, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति सहित।
- (ख) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतीकरण।
- (ग) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (घ) किसी जनपद के सम्बन्धित मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त "स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र"।
- (च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-छ") (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये परिशिष्ट-"ज") (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये परिशिष्ट-"झ")।

(ii) घोषणा पत्र

- (क) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट -"य")।
- (ख) पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट -"य")।
- (ग) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट -"य")।
- (घ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण (परिशिष्ट-"क") में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।
- (च) पावर कारपोरेशन लि० के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र (परिशिष्ट-'ख') में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (छ) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र (परिशिष्ट -"ग") में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (ज) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (परिशिष्ट -"घ") में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (झ) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) (परिशिष्ट -"ट") में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (ट) रू० 100.00 मूल्य के नान-जुडिशियल स्टैम्प पर (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) (परिशिष्ट-"ठ") आवेदन पत्र लगी फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान तथा शैक्षिक एवं तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित संलग्न प्रपत्रों की सत्यता सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

(iii) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तों (परिशिष्ट-'प') में मद सं०-3 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित तहसीलदार द्वारा सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तों के मद सं०-3 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट-"च" के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

mb

He.


Sumit

SOS

4. यदि नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्तें आपको स्वीकार्य है तो आप मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के समक्ष दिनांक 05.05.2022 को प्रातः 10:00 बजे समस्त प्रमाण पत्रों, घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र इत्यादि सहित उक्त प्रपत्रों के सत्यापन हेतु अवश्यमेव उपस्थिति हों। वांछित प्रमाण पत्रों एवं घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र में किसी के भी न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं यदि समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र पूर्ण होने की दशा में आपको विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ के समक्ष दिनांक 25.05.2022 को कार्यभार ग्रहण करने एवं अग्रेतर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। (कार्यभार ग्रहण करने एवं प्रथम तैनाती हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा)। उपरोक्त वर्णित/वांछित समस्त प्रपत्रों के प्रारूप उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के वेबसाइट www.upenergy.in पर उपलब्ध है।
5. यदि आप उपरोक्त तिथि तक वांछित अभिलेखों के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त किया जा सकता है।
6. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किए जाएंगे।
7. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रोनिक्स/टेली0 कम्युनिकेशन के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण पत्र के सम्बन्धित समक्ष प्राधिकारी से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है।
9. यदि भविष्य में सत्यापन किये जाने पर किसी स्तर पर कोई अभिलेख/प्रमाणपत्र असत्य पाया जाता है तो आपकी सेवाये बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

 21/04/2022

(जे0पी0एस0 गंगवार)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)


पत्रांक अ-2/सी0ई0एच0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रोनिक्स/टेली0 कम्युनिकेशन को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में कार्यभार ग्रहण कराएं एवं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने स्तर से निर्धारित कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

ईमेल

3. सम्बन्धित मण्डलीय चिकित्सा परिषद को इस आशय से प्रेषित कि वे अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रोनिक्स/टेली0 कम्यूनिकेशन के पद पर चयनित उपरोक्त अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के माध्यम से अथवा अपने स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

 21.04.2022

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656cehydelpcl@gmail.com फ़ैक्स : 0522-2288655

संख्या- 915-अनु०-2/सी०ई०एच०/सीधी भर्ती-नियुक्ति/22

दिनांक 21.04. 2022

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में विज्ञापन सं० 07/विसेआ/2020-जेई०/ईएण्डएम द्वारा चयनित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के पद हेतु नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

सेवा में,

- 1 (Roll no. 131316101476) ABHAY KUMAR S/O MURARI PRASAD KUSHWAHA
Village Kanta Post Kanta Chandauli 232104 gmail id-abhay05.brave@gmail.com
- 2 (Roll no. 131316102077) SURYAKANT BHARDWAJ S/o SHRIRAM SHARMA
Add- MOHALLA UPADHYAY POST OFFICE ISLAMNAGAR Budaun 243723
Gmail id-bhardwaj412272@gmail.com
- 3 (Roll no. 141416101272) ADITYA GUPTA S/o DINESH KUMAR GUPTA
VILLAGE - PARSA POST - PARSA Ghazipur 233301 gmail id- adityagzp1@gmail.com
- 4 (Roll no. 161616100636) KM MANSI D/o MAHENDRA RAM
Add- KALPANA CHAWALA HOSTEL BUNDELKHAND INSTITUTE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY Jhansi 284128 gmail id- kmmanshirbl@gmail.com
- 5 (Roll no. 161616100729) NIDHI VERMA D/o KISHAN KUMAR
Add-36/2 PREM GANJ SIPRI BAZAR JHANSI 284003 gmail id-nid12jhs@gmail.com
- 6 (Roll no. 171816101495) PIYUSH KUMAR S/o RAM NARAYAN RAM
Vill - Miriyaredha post - kandharapur Azamgarh 276135 gmail id- piyushknit307@gmail.com
- 7 (Roll no. 171916100254) SUNIL KUMAR MISHRA S/o TRILOKI NATH MISHRA
VILL BAHORWA POST PADARI BAZAR THANA KHUKHUNDU DIST DEORIA 274701
Gmail id- sunilbaba6644@gmail.com
- 8 (Roll no. 171916100410) HITESH KUMAR HARSH S/o BALAK RAM
vill narendra pur, post teriyasandila, hardoi 241204 gmail id- hiteshgitesh8@gmail.com
- 9 (Roll no. 172016100749) SACHIN S/o HARINDRA
VILL DHADHAWAL PATRAO POST FATEHPUR TAL RATOY Mau 221603
Gmail id- 535sachinyadav@gmail.com
- 10 (Roll no. 172016101186) SHASHVAT BHOOSHAN S/o RAN BHOOSHAN
VILL DOMANPUR POST SHAHGANJ Jaunpur 223101 gmail id-omvns81@gmail.com
- 11 (Roll no. 172116100398) RAVINDRA YADAV S/o GYANCHANDRA YADAV
VILLAGE PIYAROPUR POST MUBARAKPUR Azamgarh 276404 gmail id-rpm1625@gmail.com
- 12 (Roll no. 182216100572) SATISH CHAND CHAUDHARY S/o SHIVBAHADUR CHAUDHARY
VILLAGE BASDEELA POST SIHARI SARDAHA Basti 272190 gmail id-scchaudhary97@gmail.com

- 13 (Roll no. 182416101068) AMIT KUMAR GUPTA S/o RAMASHRAY GUPTA
Vill-Mohargunj, chahnia Post- Sevri Manai Chandauli 232109
gmail id-AMITEBG@GMAIL.COM
- 14 (Roll no. 192716100336) KISHAN KUMAR SHUKLA S/o JANARDAN SHUKLA
VILLAGE UDHIYA POST PADMANIYA KHURD TAHSIL SOHAGPUR Shahdol484001
Gmail id- kishanshukla817@gmail.com
- 15 (Roll no. 213016100356) DIBAKAR LAHA S/o SUKUMAR LAHA
VILLAGE- KHANTORA POLICE STATION-DOMJUR Howrah 711411
Gmail id- dibakarlaha17@gmail.com
- 16 (Roll no. 233216100297) PRAVEEN KUMAR S/o ASHOK KUMAR VISHWAKARMA
Add- DIBULGANJ KULDOMARI ANPARA TPS Sonbhadra231225
Gmail id- PRAVEENKU532@GMAIL.COM

महोदय,

मुझे आपको सहर्ष सूचित करना है कि सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-07/विसेआ/2020-JE/E&M के सन्दर्भ में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तों (परिशिष्ट-"प") के अधीन किया गया है।

2. आपका अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के रूप में प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा कराया जायेगा।
3. अभिलेखों की जाँच के समय आपको अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने अनिवार्य है :-

(i) प्रमाणपत्र

- (क) प्रवेश पत्र, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति सहित।
- (ख) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतीकरण।
- (ग) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (घ) किसी जनपद के सम्बन्धित मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त "स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र"।
- (च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-छ") (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये



परिशिष्ट-“ज”) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये
परिशिष्ट-“झ”)।

(ii) घोषणा पत्र

- (क) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट -“य”)।
(ख) पावर कारपोरेशन लि०, में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट -“य”)।
(ग) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट -“य”)।
(घ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण (परिशिष्ट-“क”) में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।
(च) पावर कारपोरेशन लि० के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र (परिशिष्ट-“ख”) में निर्धारित प्रपत्र पर।
(छ) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र (परिशिष्ट -“ग”) में निर्धारित प्रपत्र पर।
(ज) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (परिशिष्ट -“घ”) में निर्धारित प्रपत्र पर।
(झ) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) (परिशिष्ट -“ट”) में निर्धारित प्रपत्र पर।
(ट) रू० 100.00 मूल्य के नान-जुडिशियल स्टैम्प पर (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) (परिशिष्ट-“ठ”) आवेदन पत्र लगी फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान तथा शैक्षिक एवं तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित संलग्न प्रपत्रों की सत्यता सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

(iii) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तों (परिशिष्ट-“प”) में मद सं०-3 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित तहसीलदार द्वारा सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तों के मद सं०-3 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट-“च” के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. यदि नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्तें आपको स्वीकार्य है तो आप कार्यालय मुख्य अभियंता(हा०), तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के समक्ष दिनांक 05.05.2022 को










प्रातः 10:00 बजे समस्त प्रमाण पत्रों, घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र इत्यादि सहित उक्त प्रपत्रों के सत्यापन हेतु अवश्यमेव उपस्थिति हों। वांछित प्रमाण पत्रों एवं घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र में किसी के भी न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं यदि समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र पूर्ण होने की दशा में आपको विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ के समक्ष दिनांक 25.05.2022 को कार्यभार ग्रहण करने एवं अग्रेतर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा। (कार्यभार ग्रहण करने एवं प्रथम तैनाती हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा)। उपरोक्त वर्णित/वांछित समस्त प्रपत्रों के प्रारूप उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के वेबसाइट www.upenergy.in पर उपलब्ध है।

5. यदि आप उपरोक्त तिथि तक वांछित अभिलेखों के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किए जाएंगे।
7. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण पत्र के सम्बन्धित समक्ष प्राधिकारी से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है।
9. यदि भविष्य में सत्यापन किये जाने पर किसी स्तर पर कोई अभिलेख/प्रमाणपत्र असत्य पाया जाता है तो आपकी सेवाये बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अर्न्तगत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

 21/04/2022
(जे0पी0एस0गंगवार)

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)


पत्रांक अ-2/सी0ई0एच0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास) विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में कार्यभार ग्रहण कराएं एवं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने स्तर पर निर्धारित कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हा0),शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलीय चिकित्सा परिषद को इस आशय से प्रेषित कि वे अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के पद पर चयनित उपरोक्त अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य

ई-मेल

- उपयुक्तता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के माध्यम से अथवा अपने स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

 21.04.2022

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली0 कम्यूनिकेशन के पद पर नियुक्ति की सेवा-शर्त

1. प्रशिक्षण

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पत्रांक 698-काविनी एवं विनियम/पाकालि/2018-12-विनियम/2018, दिनांक 22.12.2018 (पताका-ग) के अनुसार प्रशिक्षण की कुल अवधि 12 माह होगी, जिसमें एक माह का (Classroom) प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा उनके स्तर पर निर्धारित अवधि के अनुसार सम्पन्न होगा, शेष 11 माह का (On Job) की क्रियात्मक प्रशिक्षण क्षेत्रीय इकाई में किया जायेगा। तदोपरान्त कारपोरेशन के उक्त आदेश के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि में अभ्यर्थी के कार्यकलापों का मूल्यांकन निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा किया जायेगा जिसकी आख्या उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल), उ0प्र0 पा0का0लि0, तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियमितीकरण हेतु उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में मूल्यांकन सन्तोषजनक न पाये जाने पर प्रशिक्षण अवधि तीन माह बढ़ा दी जायेगी। इसके बाद भी सन्तोषजनक न पाये जाने पर विभाग द्वारा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली0 कम्यूनिकेशन के रूप में दी गयी नियुक्ति समाप्त भी की जा सकती है।

2. परिलब्धियाँ

कारपोरेशन की सन्तुष्टि के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के पश्चात् अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में व्यतीत की गयी प्रशिक्षण अवधि को आपके वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये आगणित किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अभ्यर्थी का विनियमितीकरण अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर होने के पश्चात् ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में आपका वेतन (As per 7th Pay Commission (Pay Matrix-7; Rs. 44,900/- {(minimum level in revised pay matix}, Dearness and other allowances admissible as per rules of UPPCL,) अनुमन्य होगा तथा महँगाई भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय-मसय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

3. सेवा अनुबन्ध-पत्र

(क) इस नियुक्ति हेतु आप एवं उसके प्रतिभू (गारेन्टर) जो प्रचुर संसाधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट सम्बन्धी भी हो सकते हैं) को रू0 100/- मूल्य के नान-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षों तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि में पूर्व कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बाण्ड मनी रू0 1,50,000.00(रूपये एक लाख पचास हजार) + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हो, से प्राप्त हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको निष्पादित बन्ध-पत्र के साथ जाँच के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(2)

(ख) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर से नवनियुक्त अवर अभियन्ताओं को बाण्ड मनी रू0 1,50,000.00(रूपये एक लाख पचास हजार) + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि हेतु प्रतिभू (Guarantor), उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

1. यदि कोई अभ्यर्थी उ0प्र0 राज्य निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत करे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।
2. यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 1,50,000.00(रूपये एक लाख पचास हजार) + जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18 प्रतिशत) को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) CHIEF ENGINEER (HYDEL), UPPCL, SHAKTI BHAWAN EXTENSION, LUCKNOW (CURRENT A/C No. 0294002100061454) के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि अर्थात् 04 (चार) वर्ष की अवधि के लिए जमा करने के बाद अभ्यर्थी को हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट:-अभ्यर्थी सावधि जमा पत्र के पीछे अपना नाम तथा रोल नं0 अवश्य अंकित करें।

- (ग) सावधि जमा पत्र (FDR) जमा करने की दशा में भी अभ्यर्थी द्वारा रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा। यदि सावधि जमा पत्र अभ्यर्थी के खाते से बनाये जाते हैं तो अनुबन्ध पत्र पर प्रतिभू के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यदि सावधि जमा पत्र किसी अन्य के खाते से बनवाये जाते हैं तो प्रतिभू के स्थान पर उस खाता धारक के हस्ताक्षर किये जायेगे।
4. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्त होने के दिनोंक से कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम अभ्यर्थी पर स्वतः लागू होंगे।
5. आपकी नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्धाधीन होगी। चरित्र एवं पूर्ववृत्त असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में प्रशिक्षण अवधि में अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय बिना कारण बताये हुये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
6. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में अभिलेखीय जाँच एवं उसके उपरान्त प्रथम तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
7. प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकती है।
8. आपको राज्य में कही भी जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाये एवं तय किया जाये, तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकता है।

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

परिशिष्ट-“छ”

उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/सुपुत्री श्री

निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....

.....जिला..... उ०प्र० राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ/संविधान अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम

तहसील..... नगर..... जिला.....में

सामान्यता रहता है।

स्थान:

दिनांक:

मुहर:

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/अन्य
वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला
समाज कल्याण अधिकारी)

परिशिष्ट-“ज”

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम.....
 तहसील नगर जिला

..... उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं/ यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 उक्त अधिनियम-1994 की अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील जिलामें सामान्यता रहता है।

स्थान:.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/अन्य
 वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला
 समाज कल्याण अधिकारी)

परिशिष्ट- "झ"

कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-।।, दिनांक 14 मार्च 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश

कार्यालय का नाम:.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या:.....

दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पति/पुत्री.....

..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस.....थाना.....

..... तहसील..... जिला..... राज्य पिन कोड.....

..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

(प) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

(पप) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।

(पपप) अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

(पअ) अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....

के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट
साईज का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफहस्ताक्षर..... (कार्यालय की
मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम.....

(जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटीमजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी ग्राम पोस्ट
 तहसील जिला राज्य
 एतद्वारा घोषित करता हूँ कि :-

(क) (1) मैं अविवाहित हूँ।

अथवा

(1) मैं विवाहित हूँ तथा मेरी/मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है। मेरी पत्नी/मेरे पति का नाम पुत्री/पत्री श्री
 ग्राम जिला राज्य
 है।

(2) मेरा अपनी पत्नी/मेरा अपने पति से तलाक नहीं हुआ है और नही तलाक/सम्बन्ध-विच्छेद सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(3) यदि तलाक हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें।

(ख) कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कार्मिक से मेरा किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि है तो पूर्ण विवरण दें।

सम्बन्धी अधिकारी/कार्मिक से सम्बन्ध एवं उनका नाम
 पदनाम/पता

(ग) मैं किसी सरकारी संस्था/बैंक/संस्थान अथवा अन्य से पूर्ण रूप से ऋण मुक्त हूँ, यदि है तो पूर्ण विवरण दें

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

पद :

दिनांक :

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा-पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतपश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की वार्षिक घोषणा करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गयी है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है				अर्जित या पैतृक यदि अर्जित किया गया है तो उनके अर्जन का विवरण	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र० सं०	ग्राम नगर, उपनगर	जनपद	गृह सं०					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपयुक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

टिप्पणी:- अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बन्धक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गयी समझी जायेगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (शेयर) या जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (शेयर) या जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं हूँ। यदि एतदपश्चात मैं कोई हिस्से अर्जित करूँगा/करूँगी या जमा पूँजी लगाऊँगा/लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(घ) उनके लिए जो हिस्से (शेयर) के स्वामी/स्वामिनी है या जिनकी अन्य जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) है। मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूँजी रखता/रखती हूँ।

क्र०सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सो का क्रय मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

चल सम्पत्ति

- (च) केवल उनके लिए जिनके पास पायी चल सम्पत्ति नहीं हैं मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतदपश्चात् कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में घोषणा करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

- (छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/स्वामिनी हूँ।

क्र०सं०	सम्पत्ति का विवरण	क्रय धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गयी थी, यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की सं० तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक है।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट)

क्र०सं०	विवरण	पूँजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूँगा/करूँगी या अन्य कही पूँजी लगाऊँगा/ लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित पंचवर्षीय घोषणा में कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

परिशिष्ट- "ख"

निष्ठा की शपथ

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाये रखूँगा/रखूँगी तथा उसके कार्य-कलापों की पूर्णरूप से गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

घोषणा

मैं पुत्र श्री.....

निवासी (पूरा पता).....

.....तदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।
- (ख) और न हो किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।
- (ग) और न हो भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेलजोल अथवा सहानुभूति रखूँगा/रखूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

परिशिष्ट-‘घ’अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत न होने के दशा में।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर :
 पूरा नाम :
 पदनाम :
 दिनांक :

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं.....
 के विभाग में सेवारत था/थी। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधीन अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली0 कम्युनिकेशन के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्य मुक्त कर दिया गया हूँ। कार्य मुक्ति प्रमाण-पत्र एतद्वारा संलग्न है।

हस्ताक्षर :
 पूरा नाम :
 पदनाम :
 दिनांक :

(1)

परिशिष्ट- "ट"

चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में)
साक्षात्कन प्रपत्र

चेतावनी

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

- (क) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को दबाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिये जाने के लिये अयोग्य कर सकता है।
- (ख) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विवर्जित किया गया हो तो उनका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जायेगा।
1. अनुक्रमांक..... विधा (Branch).....
 2. (क) पूरा नाम, (हिन्दी में).....
उपनाम यदि कोई हो.....
(ख) पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में).....
 3. पिता का पूरा नाम.....
उपनाम यदि कोई हो.....
व्यवसाय..... वार्षिक आय.....
माता का पूरा नाम.....
उपनाम यदि कोई हो.....
पत्नी/पति का पूरा नाम.....
उपनाम यदि कोई हो.....
 4. (क) लिंग (पुरुष/स्त्री).....(ख) विवाहित/अविवाहित.....
 5. (क) जाति.....(ख) उपजाति.....
 6. (क) पिता की राष्ट्रियता.....
(ख) माता की राष्ट्रियता.....
(ग) पत्नी की राष्ट्रियता.....
(घ) पति की राष्ट्रियता.....
 7. जन्म स्थान (स्वयं का).....
पति/पत्नी का (यदि विवाहित हो).....
 8. गृह जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो.....
 9. (अ) स्थाई निवास का पूरा पता:-

विवरण	हिन्दी में	अंग्रेजी में (CAPITAL LETTER)
मकान/गृह संख्या		
गली/मोहल्ला		
नगर/ग्राम		
डाकघर		
थाना		
तहसील		
जनपद		
राज्य		
पिन कोड		

(ब) वर्तमान/पत्राचार का पूरा पता :-

विवरण	हिन्दी में	अंग्रेजी में (CAPITAL LETTER)
मकान/गृह संख्या		
गली/मोहल्ला		
नगर/ग्राम		
डाकघर		
थाना		
तहसील		
जनपद		
राज्य		
पिन कोड		

10. निवास प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम पिन कोड
11. जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम पिन कोड
12. टेलीफोन/मोबाइल संख्या :
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)
13. ई0मेल आई0डी0 :
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)
14. पिछले पाँच वर्षों में पते :-

क्र0सं0	दिनोंक से	दिनोंक तक	पता
1			
2			
3			
4			
5			

15. (क) जन्मतिथि (शब्दो/अंको में) यदि अभ्यर्थी हाईस्कूल पास है तो प्रमाण-पत्र अनुसार उसका दिनोंक अंकित करें
- (ख) आयु दिनांक 01 जनवरी 2018)
16. शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने हाईस्कूल/समकक्ष जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा पाई हो उसका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें

क्र0 सं0	स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम व पूरा पता	शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा जो उत्तीर्ण की हो	उत्तीर्ण का वर्ष
1				
2				
3				

17. उस कार्यालय का फर्म का पूरा पता विवरण व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो/रही हो :-

क्र० सं०	पद का नाम व कार्य का विवरण	अवधि		कार्यालय फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
		दिनोंक से	दिनोंक तक		

18. मोहल्ले के दो प्रतिष्ठित (जो सम्बन्धी न हो) व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हों :-

(1) नाम :
व्यवसाय :
पता :

(2) नाम :
व्यवसाय :
पता :

19. (क) क्या आपको कभी, गिरफ्तार, सजा, हवालात, परिदन्धित, अर्थदण्ड दिया गया है या

किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा कितने परीक्षा/चयन में भाग लेने से विवर्जित/अनर्ह किया गया है, या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रस्टीकेट किया है।

(ख) क्या इस साक्ष्यांकन प्रपत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वाविद्यालय या किसी शैक्षिक प्राधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

टिप्पणी :- (1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूरा विवरण गिरफ्तारी, हवालात, अर्थदण्ड, सजा, इत्यादि, व किसी भी न्यायालय, विश्वाविद्यालय/शैक्षिक प्राधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनायें मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मुझे ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती हैं।

दिनांक

स्थान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

(रु0 100.00 नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ पत्र

मैं.....उम्र.....पुत्र/पुत्री श्री.....

.....निवासी

.....जिला.....सशपथ कथन

करता/करती हूँ कि:-

1. मैंने विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-07/विसेआ/2020-JE/E&M के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली0 कम्युनिकेशन के पद पर आवेदन किया था तथा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर मेरा चयन हो गया है।
2. मेरे द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी सही व सत्य है, उसमें कुछ भी छिपाया नहीं है।
3. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, अँगूठा निशान तथा शैक्षिक एवं तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण पत्रों में कोई भी तथ्य किसी भी समय असत्य पाया जाता है तो विभाग मुझे इस असत्य घोषणा/तथ्य के आधार पर मेरी सेवारत बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त करने तथा एफ0डी0आर0 रु0 1,50,000.00 (रुपये एक लाख पचास हजार) जब्त करने/बन्ध पत्र की धनराशि मुझसे विधि अनुसार वसूल किये जाने सहित वेतन एवं भत्तों के मद से मुझे भुगतान की गयी समस्त धनराशि की भी वसूली किये जाने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी के साथ विभाग मेरे विरुद्ध झूठा शपथ-पत्र देने के अपराध में विधिक कार्यवाही करता है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक.....

स्थान.....

शपथी

नाम:.....

अनुक्रमांक सं0:.....

पिता का नाम:.....

स्थायी पता:.....

पत्राचार का पता:.....

दूरभाष नं0:.....

(अभ्यर्थी द्वारा रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध-पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री.....
पुत्र/पुत्री श्री अस्थायी अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत एवं अवर
अभियन्ता (प्रशिक्षु)-इलेक्ट्रॉनिक्स/टेली0 कम्प्युनिकेशन, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के नियुक्ति पत्र
संख्या.....दिनांक में वर्णित शर्तों के अधीन सेवा
कर रहे हैं (एतदपश्चात अवर अभियन्ता कहलायेगे) एवं श्री..... पुत्र/पुत्री श्री.....
..... निवासी.....
.....(एतदपश्चात प्रतिभू कहलायेंगे एतद्वारा आबद्ध होते हैं कि जिनमें उनके
उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से (उ0प्र0 पावर
कारपोरेशन लि0 को एतदपश्चात कारपोरेशन कहलायेगा) मॉगे जाने पर रू0 1,50,000.00 (रूपये एक लाख
पचास हजार), जी0एस0टी0 (लागू दर से) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे।

दिनांक

मास

हस्ताक्षरित

(अभियन्ता के हस्ताक्षर)

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

यतः कारपोरेशन के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार अस्थायी अवर अभियन्ता
(प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि अभियन्ता स्वयं अपनी ओर से
कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में अवर अभियन्ता के
रूप में नियुक्ति के दिनांक से **तीन वर्ष (अर्थात् कुल चार वर्ष)** पश्चात् तक नहीं छोड़ेगा, सम्बन्धित
बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अभियन्ता अपने
प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में अवर अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से
तीन वर्ष (अर्थात् चार वर्ष) पश्चात तक कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व
अनुमति लिए बिना छोड़ेगा। अथवा त्याग पत्र देगा, तब उस दशा में अवर अभियन्ता और/अथवा प्रतिभू
कारपोरेशन के मॉगे जाने पर बन्ध-पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब भुगतान करेंगे तथा अभियन्ता
अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मॉगे जाने पर भुगतान करने उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं
होगी अन्यथा यह पूर्णस्पेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, अवर अभियन्ता की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित
नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध-पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी

1.

हस्ताक्षरित

2.

अवर अभियन्ता

प्रतिभू

बन्ध-पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्ध :-

1. बन्ध-पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए। यदि रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हों तो ऐसी दशा में दो या तीन पन्नों (शीट्स) जो कम मूल्य के हों परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100.00 हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. अवर अभियन्ता और प्रतिभू दोनों की कोरे पन्ने (शीट) सहित, यदि कोई हो, बन्ध-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध-पत्र पर किसी प्रकार की कॉट-छॉट, परिवर्तन अथवा पुनलेखन इत्यादि होने पर प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभियन्ता और प्रतिभू की संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साथियों का पूरा नाम, पता व पदनाम का उल्लेख उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनोंक जब बन्ध-पत्र मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात बन्ध-पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध-पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अवर अभियन्ता को स्वयं करना होगा।
6. बन्ध-पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अवर अभियन्ता एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. अभियन्ता और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होना चाहिए।
8. प्रतिभू उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 1,50,000.00 के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण-पत्र हेतु बन्ध-पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र" जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए। प्रतिभू उपलब्ध न होने की दशा में वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 1,50,000.00 (रूपये एक लाख पचास हजार) जी0एस0टी0 (लागू दर से) सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) CHIEF ENGINEER (HYDEL), UPPCL, SHAKTI BHAWAN EXTENTION, LUCKNOW (CURRENT A/C No. 0294002100061454) के पक्ष में, जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि अर्थात 04 (चार) वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात बन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा बन्ध पत्र की वैधता/सावधि जमा अनुमुक्त कर दी जायेगी।
7. यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 1,50,000.00 (रूपये एक लाख पचास हजार) जी0एस0टी0 (लागू दर से) को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) CHIEF ENGINEER (HYDEL), UPPCL, SHAKTI BHAWAN EXTENSION, LUCKNOW (CURRENT A/C No. 0294002100061454) के पक्ष में, जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवावधि अर्थात 04 (चार) वर्ष की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
(सावधि जमा पत्र प्रस्तुत करने की दशा में भी बन्ध पत्र (परिशिष्ट-"च") (नोटरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करना आवश्यक है। (प्रतिभू के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं)।